इमाम अबु हनीफ़ा रह.

शख़्सियत और अक़ीदा

39

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफ़ें अल्लाह तआला के लिए हैं जो सब जहानों का पालनहार है। हम उसी का शुक्र अदा करते हैं और उसी से मदद व माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की बेशुमार सलामती, रहमतें व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ललललाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी आल व औलाद और असहाब रज़िअल्लाहु तआला अन्हुमा पर!

व बअद!

आप रहमाहुमुल्लाह का नाम नौमान और कुन्नियत अबु हनीफ़ा है। आपके वालिद का नाम साबित और दादा का नाम जूत़ी है। आप 80 हिज़री (699 ईस्वी) में कूफ़ा शहर में पैदा हुए। इब्तेदाई तालीम आपने अपने घर ही पर हासिल की। जब कुछ बड़े हुए तो वालिद साहब के साथ दुकान पर बैठने लगे। अभी आप 16 साल के थे कि वालिद का इन्तेक़ाल हो गया। अब कारोबार खुद ही संभालने लगे। चूंकि तबीयत के बहुत ज़हीन और मेहनती थे इसलिए बहुत जल्दी करोबार में तरक्क़ी की। दुकान के अलावा एक कारख़ाना कपड़ा बुनने का भी क़ायम किया। आपकी वालिदा मुहतरमा ने लम्बी उम्र पाई। वो बहुत इबादत गुज़ार और उलेमा की तरफ़ से बहुत खुश अकीदा थी।

फ़िक़्ह का इल्म आपने हमाद बिन सुलैमान रह. से और इल्में हदीस इमाम शअबी रह. सलमा बिन कहील रह. मुहारिब रह. अबु इसहाक़ सबई रह. ऊन बिन अब्दुल्लाह रह. और समाक रह. वग़ैरह से हासिल किया।

इमाम मुहतरम अपनी शख़्सी ज़िन्दगी में बहुत परहेज़गार और दयानतदार आदमी थे। नातजर्बेकार लोग अपना माल बेचने के लिए अगर उनकी दुकान पर आते और अपने माल की क़ीमत कम बताते तो आप खुद उनसे कहते थें। तुम्हारा माल ज़्यादा कीमती है और उन्हें सही क़ीमत अदा करते थें। मशहूर इमामे हदीस अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रह. ने आपके बारे में फ़रमाया ''मैने अबु हनीफ़ा रह. से ज़्यादा परहेज़गार शख़्स नहीं देखा। उनके सामने दुनिया और उसकी दौलत पेश की गई तो उसे ठुकरा दिया। कोड़ो से उसे पीटा गया तो भी वह साबित क़दम रहा। वो ओहदे जिन के पीछे लोग दौड़ते फिरते हैं, कभी कुबूल नहीं किये।'' इसी तरह हसन बिन ज़ियाद रह. ने कहा ''अल्लाह की क़सम! अबु हनीफ़ा रह. ने कभी किसी अमीर का अतिया या हदया कुबुल नहीं किया।''तो क़ाज़ी अबु युसुफ़ रह. की राय में ''वह अल्लाह की हराम कर्दा चीजों से सख़्त परहेज़ करने वाले और अक्सर ख़ामोश रहने वाले थे। हमेशा ग़ौर व फ़िक्र में लगे रहते। फ़िज़ूल बातें कभी न करते थे। अगर कोई मसअला उन से पूछा जाता और उनके पास उसके मुताल्लिक़ कोई इल्म होता तो जवाब दे देते वरना ख़ामोश रहते। वह कभी किसी का ज़िक्र बुराई के साथ न करते थे।'' आप काफ़ी फ़य्याज शख़्स थे। अहले इल्म और तालिबे इल्मों पर बड़ी दरिया दिली से अपना माल ख़र्च करते थे। इमाम अबु युसुफ़ रह. के तो घर का पूरा ख़र्च ही उन्होंने अपने ज़िम्मे ले रखा था क्योंकि उनके वालिद काफ़ी ग़रीब थें। ख़लीफ़ा मन्सुर के ज़माने में 145 हिजरी में आपको क़ैदखाने में डाला गया। क़ैद ही में 150 हिजरी में आपको खाने के साथ जहर दिया गया। ज़हर ने अपना असर दिखाया। 70 साल की उम्र पाकर 15 रजब 150 हिजरी में आप अल्लाह को प्यारे हो गये। आपके जनाज़े में 50 हज़ार से ज़्यादा लोग शरीक थे। 6 बार आपकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी गई। दफ़न के बाद भी 20 दिनो तक लोग आप की

क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा अदा करते रहें। अल्लाह से दुआ है कि वह इमाम साहब पर अपनी ख़ास रहमत फ़रमाए। उनकी क़ब्र को नूर से भर दें और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करें। आमीन! (मुसनद इमामे आज़म, सक़ाया–शरह वक़ाया और खिलाफ़त व मलुकियत)

इमाम रह. के नासेहाना अक़वाल

1. जब अज़ान सुनो तो नमाज़ के लिए तैयार हो जाओ।
2. रोज़ा रखने और तिलावते कुरआन की आदत डालो।
3. क़ब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो।
4. पड़ौसी में कोई बुराई देखो तो पर्दापोशी करो।
5. तक़वा इख़्तयार करो और अमानत को न भूलो।
6. इल्म हासिल करने को सब बातों पर तरजीह दो।
7. जो बात कहो खूब सोच समझकर कहो और वही कहो जिसकी दलील दे सको।
8. अगर कोई शख़्स शरीयत में कोई बिदअत जारी करे तो उसकी गल्ती का एलानिया इज़्हार करो। ताकि अवाम को उसकी पैरवी की जुराअत न हो।
9. जिस शख़्स को उसके इल्म ने बुराईयों से नही रोका, वह ज़्यादा नुक़्सान उठाने वाला है।
10. जो इल्म को दुनिया के लिए सीखता है, इल्म उसके दिल में नही ठहरता।
11. जो इल्म का शौक़ नहीं रखता। उसके सामने इल्मी बात न करो। (मुसनद इमामे आज़म–सफा– 42–43)

इमाम साहब रह. का अक़ीदा

तोहीद के बारे में

1. किसी के लिए दुरस्त (जाइज़) नहीं कि वह अल्लाह से दुआ करे मगर उसी के वास्ते से और जिस (तरह) दुआ की इजाज़त है और जिसका हुक्म है, वोह वही है जिसे अल्लाह ने इस तरह बयान फ़रमाया "अल्लाह के नाम सब अच्छे अच्छे हैं उन्हीं नामों से उसे पुकारो और उन लोगों का रास्ता छोड़ दो जो उसके नामों में झगडा करते है (सूरह आराफ़–आयत 180) यानि अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के जरिये दुआ करो

2. मकरूह है कि दुआ करने वाला यूं कहे कि मैं ब हक़ फ़ला या ब हक़ अम्बिया व रूसुल तेरे या ब हक बैअते हराम तुझसे सवाल करता हूँ।
और आप यह भी मकरूह समझते थे कि दुआ करने वाला यूं कहे कि ब हक़ तेरी मख़लूक़ के। (शरह फ़िक़्ह अकबर–सफ़ा–198)

ईमान के बारे में

1. ईमान जुबान से इक़रार और दिल से उसकी तस्दीक़ है। सिर्फ़ इक़रार ईमान नहीं। (अलवसीया–तहावी–सफ़ा–02)

2. ईमान न ज़्यादा होता है और न कम होता है। आप रह. की यही बात बक़िया तमाम अइम्मा ए सलफ़ मसलन इमाम मालिक रह. इमाम शाफ़ई रह. इमाम अहमद रह. इमाम इसहाक़ रह. और इमाम बुख़ारी रह. वग़ैरह के अक़ीदे से अलग है। और हक़ इन्हीं अइम्मा रह. के साथ है। लेकिन इब्ने अब्दुल बर रह. और इब्ने अबि अल अज़ रह. के मुताबिक़ अबु हनीफ़ा रह. ने अपने इस क़ौल से रूजूअ कर लिया था। (शरह अक़ीदा अल तहावीया–सफ़ा–395)

सिफ़ात के इस बात और जहमिया के रद्द में

1. अल्लाह तआला एक है, बे नियाज़ है न उसने किसी को जना है और न वह जना गया है। न ही कोई उसका हमसर है। वह ज़िन्दा है, (हर शै पर) क़ादिर है, सुनने और देखने वाला है, और आलिम है। उसका हाथ उन के हाथों पर है, मगर उसका हाथ मख़लूक़ के हाथ जैसा नहीं है और न ही उसका चेहरा मख़लूक़ के चेहरे जैसा है। (फ़िक़्ह अल अबसत–सफ़ा–56)

2. अल्लाह के लिए हाथ, चेहरा और नफ़्स है। जैसा कि अल्लाह ने कुरआन में ज़िक्र किया है और बेशक ये उसकी सिफ़ात हैं। यह नहीं कहा जाएगा कि उसका हाथ उसकी कुदरत या नेअमत हैं क्योंकि इसमें उसकी सिफ़त का इन्कार है। (फ़िक्ह अकबर–सफ़ा–302)

3. किसी के लिए जाइज़ नहीं कि अल्लाह की ज़ात के बारे में अपनी तरफ़ से कुछ भी बोले। बल्कि उसे उसी वसफ़ से पुकारे जिससे उसने अपने आपको मुतसफ़ किया है। (शरह अक़ीदा तहावीया–सफ़ा 42)

4. नुज़ूले इलाही के बारे में पूछे जाने पर आप रह. ने फ़रमाया ''यक़ीनन अल्लाह नुज़ूल करता है।'' (शरह अक़ीदा तहावीया–सफ़ा–245)

5. 'अल्लाह' अपनी मख़्लूक़ में से किसी के जैसा नहीं। वह अपने नामों और सिफ़ात के साथ हमेशा से था और हमेशा रहेगा। उसकी सिफ़ात मख़्लूक़ की सिफ़ात जैसी नहीं। वह जानता है मगर हमारे जानने की तरह नहीं। वह कुदरत रखता है मगर हमारी तरह नहीं। वह देखता है मगर हमारे देखने की तरह नहीं। वह सुनता है मगर हमारे सुनने की तरह नहीं और वह बोलता है मगर हमारे बोलने की तरह नहीं। (फ़िक्ह अकबर–सफ़ा–301–302)

6. अल्लाह की ज़ाती और फ़ैअली सिफ़ात हैं। ज़ाती सिफ़ात हयात, कुदरत, इल्म, कलाम (बोलना), समअ (सुनना), बसर (देखना) और इरादा हैं और फ़ैअली सिफ़ात पैदा करना, रोज़ी देना, मोजूद करना, बग़ैर किसी पिछली चीज़ और नमूने के किसी चीज़ को वुजुद में लाना और बनाना। फ़ैअली सिफ़ात में वह अपने नामों और गुणों के साथ हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वह अपने फ़ैअल के साथ हमेशा से करने वाला रहा है और फ़ैअल हमेशा से उसकी सिफ़त (ख़ूबी) है और उसका फ़ैअल मख़्लूक़ नहीं है। (फ़िक्ह अकबर–सफ़ा 301)

7. जो शख़्स यह कहे कि मैं अपने रब के बारे में नहीं जानता कि वह आसमान में है या ज़मीन में? तो उसने कुफ्र किया। ऐसे ही वह शख़्स भी काफ़िर है जो यह कहे कि अल्लाह अर्श पर तो है लेकिन में यह नहीं जानता कि अर्श आसमान में है या ज़मीन में। (फ़िक्ह अल अबसत–सफ़ा–46)

8. अल्लाह आसमान में है ज़मीन पर नहीं और जो अल्लाह के आसमान पर होने का इन्कार करे वह काफ़िर है। (बैहक़ी)

9. एक औरत ने इमाम रह. से पूछा कि जिस रब की आप इबादत करते हैं, वह कहां हैं? तो इमाम साहब ने जवाब दिया कि वह ज़मीन में नहीं आसमान में हैं इस पर एक आदमी बोला कि अल्लाह का यह क़ौल है '' व हु वा मअकुम'' (सूरह हदीद–आयत–4) यानि ''वह तुम्हारे साथ है'' तो आपने फरमाया कि वह ऐसे ही है जैसे तुम किसी को लिखते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालांकि तुम उससे दूर होते हो। (अस्मा वल सिफ़ात–सफ़ा–429)

10. अल्लाह ने जब मूसा अलैहि. से बात नहीं की थी। तब भी वह बात करने वाला था। मगर उसका बात करना हमारे बात करने जैसा नहीं। इसी तरह कुरआन अल्लाह का कलाम (बात) है। मसाहिफ़ में लिखा हुआ है, दिलों में महफ़ूज़ है, ज़ुबानों से पढ़ा जाता है और मुहम्मद सल्लललाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल किया गया है। कुरआन मख़्लूक़ नहीं बल्कि ग़ैर मख़्लूक़ है। (फ़िक्ह अकबर–सफ़ा–301–302)

तक़दीर के बारें में

1. एक आदमी आप रह. के पास आकर तक़दीर के बारे में उनसे बहस करने लगा तो इमाम साहब ने फ़रमाया ''तुम्हें मालूम नहीं कि तक़दीर के बारे में खोजबीन करने वाला ऐसे ही है जैसे कोई सूरज की आंखो में नज़र करने वाला वो जितना ग़ौर करेगा। उसकी हैरत (उतनी ही) ज़्यादा होगी। (क़लाइद उक़ूद अल अक़बान–जिल्द 2 सफ़ा 77)

2. अल्लाह तआला चीज़ों को हमेशा से उनके होने से पहले से जानता था। अल्लाह के हुक्म से लिखी गई तकदीर लौहे महफ़ूज़ में है। वह यह भी जानता है कि किसका ख़ातमा किस तरह होगा। और हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ने क़लम को हुक्म दिया कि लिख। तो क़लम ने अर्ज़ किया कि ऐ रब! में क्या लिखूं? अल्लाह ने फ़रमाया ''क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, वो सब लिख। हर छोटी–बड़ी चीज़ उसमें लिखी हुई है। और यह कि दुनिया और आख़िरत में कोई चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर न होगी। (फ़िक्ह अकबर–सफ़ा–302)

3. अल्लाह पैदा करने से पहले भी ख़ालिक़ था और बन्दा अपने आमाल, इक़रार और पहचान के साथ मख़लूक़ है। हरकत व सुकून वग़ैरह बन्दे के सब अफ़आल उनकी कमाई हैं। अल्लाह उनका पेदा करने वाला है और ये सब अल्लाह की मर्ज़ी उसके इल्म उसके फ़ैसले और उसकी तक़दीर से हैं। फ़रमाबरदारी सारी की सारी अल्लाह के हुक्म, उसकी पसन्द, उसकी मर्ज़ी, उसके फ़ैसले और उसकी तक़दीर से वाजिब थी और नाफ़रमानी सारी की सारी अल्लाह के इल्म उसके फ़ैसले उसकी तक़दीर और मर्ज़ी से है लेकिन उसकी पसन्द, उसकी रज़ा और हुक्म से नहीं हैं। (फ़िक्ह अकबर–सफ़ा–303)

4. अल्लाह ने औलादे आदम अलैहि. को आदम की पीठ से चीटियों की शक्ल में निकाला और उन्हें अक्ल वाला बनाया। फिर उन्हें ईमान लाने का हुक्म दिया और कुफ़्र से मना किया। उन्होंने भी अल्लाह के रब होने का इक़रार किया। यही उनकी तरफ़ से ईमान था और वो इसी पर पैदा किये जाते है। अब जो कुफ़्र करता है तो उसके बाद कुफ़्र करता है और जो ईमान लाता और तसदीक़ करता है तो वह उसी पर बरक़रार रहता हैं। (फ़िक्ह अकबर–सफ़ा–302)

5. उसने अपनी मख़लूक़ में से किसी को कुफ़्र या ईमान पर मजबूर नहीं किया है। ईमान हो या कुफ़्र यह बन्दों का अमल है। (फ़िक्ह अकबर–सफ़ा–303)

सहाबा किराम रज़ि. के बारे में

1. हम असहाबे रसूल सल्ल. में से किसी को भी ज़िक्र नहीं करते मगर ख़ैर के साथ। (फ़िक्ह अकबर–सफ़ा–304)

2. हम असहाबे रसूल सल्ल. में से किसी से भी बराअत (बेज़ारी) इख़्तियार नहीं करते (फ़िक्ह अबसत–सफा40)

3. अल्लाह के रसूल सल्ल. के साथ उनमें से किसी एक का थोड़े वक़्त क़याम हम में से किसी एक की तमाम उम्र के अमल से बेहतर है चाहे वोह उम्र कितनी ही लम्बी क्यों न हो। (मनाक़िब अबु हनीफ़ा–सफ़ा–26)

4. हमारा इक़रार है कि नबी सल्ल. के बाद इस उम्मत में सबसे अफ़ज़ल अबु बकर रज़ि. हैं, फिर उमर रज़ि. है फिर उसमान रज़ि. है और फिर अली रज़ि. हैं। इन सब पर अल्लाह की रज़ा हो। (अल वसीया–सफ़ा–14)

5. अल्लाह के रसूल सल्ल. के बाद उम्मत में सबसे अफ़ज़ल तरतीब वार ख़ुलफ़ा ए राशिदीन हैं। इसके बाद हम तमाम असहाबे रसूल सल्ल. से रूक जाते हैं और सिर्फ अच्छाई के साथ उनका ज़िक्र करतें हैं। (नूर अल लामेअ–जिल्द 2 सफ़ा–119)

दीन में कलाम से उनका मना करना

1. इमाम रह. ने फ़रमाया ''मैं इल्मे कलाम में नज़र रखता था। यहां तक कि इस दर्जे को पहुंच गया कि इस फ़न में मेरी तरफ़ उंगलियों से इशारे किये जाने लगे। उन दिनों हम हमाद रह. के हल्क़े के करीब बैठा करते थे। एक दिन एक औरत ने आकर मुझसे पूछा कि एक आदमी है। उसकी एक बीवी है जो लोंडी (बांदी) है। वह उसे सुन्नत के मुताबिक़ तलाक़ देना चाहता है। कितनी तलाक़ दे? मुझे समझ में न आया कि क्या कहूँ? मैंने उससे कहा कि इस बारे में वह हमाद से पूछे। फिर पलट कर आए और मुझे भी बताए हमाद रह. ने उसे जवाब दिया कि उसे हैज़ (माहवारी)

और जमाअ (सोहबत) से पाकी की हालत में एक तलाक़ दे। फिर उसे छोड़े रखे। जब उसे दो हैज़ आ जाएं तो वह ग़ुसल कर ले। अब वह निकाह करने वालों के लिए हलाल हो गई। उस औरत ने आकर मुझे जब यह बताया तो मुझे लगा कि इल्में कलाम की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हमाद के पास आ बेठा। (तारीख़ बग़दाद–जिल्द– 13 सफ़ा–333)
(अक़ीदा अइम्मा अर्बआ–डा. मुहम्मद अल ख़मीस)

इन अक़ाइद के साथ–साथ हम यह भी जान लें कि –

1. आप रह. ने कभी किसी क़ब्र पर जाकर मन्नत नहीं मांगी।
2. न ही किसी क़ब्र पर कभी कोई नियाज़ दी।
3. न क़ब्रो पर चिराग़ और मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाई।
4. न किसी क़ब्र को पक्का किया, और न करने का हुक्म दिया
5. न किसी क़ब्र पर जाकर क़ुरआन ख़्वानी की।
6. न क़ब्रों पर फूल पत्तियां छिड़की, न गुलाब जल छिड़का।
7. न क़ब्रों पर चादरें चढ़ाई, न उनका तवाफ़ किया।
8. न क़ब्र पर एतेकाफ किया न मुजावर बन कर बैठे।
9. न किसी क़ब्र वाले से फ़रियाद की न इल्तेजांए की।
10. न किसी साहिबे क़ब्र से दुआ में वसीला तलब किया।
11. न उर्स और मेले लगाए न उनमें शिरकत की।
12. न कभी हसन (रजि.) व हुसैन (रजि.) का ताज़िया बनाया।
13. न कभी 'या रसूलुल्लाह मदद' का नारा लगाया।
14. न कभी 'या अली मुश्किल कुशा' पुकारा।
15. न कभी 10 मुहर्रम को सबील लगाई, न जुलूस निकाला।
16. न कभी ईद मीलादुन्नबी का एहतेमाम किया।
17. न 15 शअबान को हल्वे बनाए, न रत जगा किया।
18. न 22 रजब को इमाम जाफ़र के कूण्डे भरे।
19. न कभी क़ब्रों पर बैठ कर मराक़ेबा किया।
20. न अल्लाह के सिवा किसी को ग़ैबदान माना।
21. न नबी सल्ल. को क़ब्र में जिन्दा समझा।
22. न जगह–जगह रूमाल व रस्सियां फ़ैककर बैअत ली और न इसके बिना।
23. न यह अक़ीदा रखा कि नबी सल्ल. क़ब्र में नमाज़ पढ़ते हैं।
24. न आपने फ़ौत हो चुके बुज़ुर्गों से पूछ कर कोई काम किया।
25. न आपने क़ब्रे रसूल सल्ल. को काबे, अर्श और कुर्सी से अफ़ज़ल कहा ।
26. न आपने अपनी पैरवी करने वालों को जन्नत का सर्टिफ़िकेट दिया।
27. न ही यह कहा कि ईसा अलैहि. जब नाज़िल होंगे तो मेरी पैरवी करेंगे।
28. न ही खिज्र अलैहि. को जिन्दा समझा, न उन्हें तालीम दी और न उन से रहनुमाई हासिल की।
29. न आपने अल्लाह को हर जगह हाज़िर माना।
30. न अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा।
31. न अल्लाह के सिवा किसी को नफ़े या नुक़्सान का मालिक समझा।
32. न आपने ज़र्रे–ज़र्रे में अल्लाह माना।
33. न कभी आपने क़व्वालियां कराई, न ही कभी महफ़िले मीलाद सजाई।
34. न ख़ुशी के मौक़े पर रक़्स व सुरूर और मौसिक़ी को पसन्द किया ।
35. न आपने आख़िरी बुध मनाया और न बारह वफ़ात मनाई।
36. न मय्यत के ईसाले सवाब के लिए कुल का एहतेमाम किया।
37. न आयते करीमा के ज़िक्र की महफ़िल सजाई।
38. न आपने तीजा किया, न चालीसवां और न बरसी।

39. न अल्लाह के सिवा किसी को ग़ौस या दाता माना ।
40. न अल्लाह के सिवा किसी को ग़रीब नवाज़ माना।
41. न नूरूम मिन नूरिल्लाह का अक़ीदा रखा।
42. न आपने तअवीज़ लटकाया और न ही लटकाने का हुक्म दिया।
43. न उम्मत के इख़्तेलाफ़ को रहमत समझा।
44. न खीर पूरी का हुक्म दिया और न ही खिचड़ा बनाने खिलाने का।
45. न कभी सूफ़ी सिलसिले से तअल्लुक रखा, न बैअत की।
46. न आप अशअरी थे, न मातुरीदी और न मौदूदी।
47. न बरेलवी थे, न देवबन्दी और न तब्लीग़ी।
48. न क़ादरी थे, न चिश्ती और न सहरवदी।
49. न साबरी थे, न तेजानी और न नक़्शबन्दी।
50. न आपने मज़हबे हनफ़ी बनाया न उसकी तालीम दी।

(चार इमाम और अक़ीदा अबु हनीफ़ा रह.)

लेकिन यह कैसी अक़ीदत व मुहब्बत है की इमाम साहब रह. की शान में क़सीदे तो पढ़े जाये और उनके अक़ीदे और तालीमात को नज़रअन्दाज़ कर दिया जाये।

यक़ीनन इमाम साहब रह. मुत्तक़ी और पर हेज़गार शख़्स थे। अहले सुन्नत वल जमाअत में से थे। दीने इस्लाम के बड़े आलिम थे। उम्मती थे, नबी न थे। अल्लाह के दीन के सच्चे ख़ादिम थे। कुरआन और हदीस पर अमल करने वाले थे।,
आप रह. फ़रमाया करते थे– (1) लोगों की राय के मुक़ाबले ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना मुझे ज़्यादा पसन्द हैं।
(2) किसी के लिए हलाल नहीं कि मेरे क़ौल (फ़त्वे) को ले। जब तक कि यह न जान ले कि मैंने कहां से कहा हैं।
3. लोग हिदायत पर रहेगे जब तक कि उनमें हदीस के तलबगार होंगे। जब हदीसे रसूल सल्ल. को छोड़कर और चीज़ तलब करेंगे तो बिगड़ जांएगे। (हक़ीक़तुल फ़िक्ह–सफ़ा–92,93)

जिन हज़रात की नज़र में मुहम्मदी होना या कुरआन व सही हदीस पर अमल करना जुर्म, ग़लत या गुमराही है और मशहूर चार इमामों में से किसी एक की तक़लीद करना जरूरी है खास कर इमाम अबु हनीफ़ा रह. की। तो उन से इतनी सी गुज़ारिश है कि पूरे के पूरे हनफ़ी बन जाएं। आपस में फूट न डालें। गिरोह–गिरोह न बटें और न ही एक दूसरे पर कुफ़्र या शिर्क के फ़त्वे दागें। बल्कि इमाम साहब रह. के अक़ाइद को भी अपना लें और उनकी तालीमात को भी। मुझे उम्मीद है इन्शा अल्लाह निजात हो जाएगी। आप यक़ीन कीजिए कि कामयाबी इमाम साहब रह. के अक़ीदे व अमल को अपनानें में है उनके मज़हब पर चलने में हैं न कि कुरआन व सही अहादीस को नकार कर उनके नाम से मन्सूब मज़हब पर अमल पैरा होने में। इसलिए कि इमाम साहब रह. ने फ़रमाया '' इज़ा सह अल हदीसु फ़हुवा मज़हबि ''यानि'' जब हदीस सही हो तो वही मेरा मज़हब है। (दुर्रे मुख़्तार–जिल्द। सफ़ा–51)

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह इमाम साहब रह. की मग़्फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बढ़ाए उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और हमें उनके अपनाए अक़ीदे और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। रोज़े क़यामत पहले उन्हें फिर हमें नबी सल्ल. के हाथों ''होज़े कौसर'' से पिलाए। आमीन या रब्बल आलमीन

आपका दीनी भाई

मुहम्मद सईद

दिनांक 15/07/11

मो. 09214836639